झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

एच0ई0सी0 नगर प्रशासन भवन, गोल चक्कर, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञापन संख्या–51/झा0रा0बि0कॉ0लि0 (गोदाम) राँची, दिनांक–30.01.2012

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची झारखण्ड सरकार का एक लोक उपक्रम है, जिसे झारखण्ड राज्य में मदिरा के थोक व्यवसाय का एकाधिकार प्राप्त है । सभी प्रकार की मदिरा भण्डारण के लिए झारखण्ड राज्य के सभी निम्नवर्णित जिला मुख्यालयों में निजी गोदामों को किराए पर लिए जाने की आवश्यकता है । अतः निम्न स्थानों के लिए आवश्यक विशिष्टियों के अनुरूप मासिक किराए पर गोदाम लेने हेतु विहित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम जहाँ गोदाम की आवश्यकता है ।	गोदाम की भण्डारण क्षमता वर्गफीट में ।		कार्यालय का क्षेत्रफल तीन कमरा 12 X 10	अन्य आवश्यकताएँ/शर्त्त
		संख्या	भण्डारण क्षमता		
1	2	3	4	5	6
1	राँची	2	25000–30000	–वही–	1– पेयजल, शौचालय एवं विद्युत कनेक्शन की समुचित व्यवस्था के साथ । 2– मुख्य सड़क से गोदाम तक जाने वाली सड़क चौड़ी हों जिससे गोदाम तक ट्रकों का आवागमन सुगमता से हो । 3– गोदाम परिसर में कम–से– कम 5–6 ट्रक आसानी से लग सके । 4– किराया गोदाम एवं कार्यालय के कॉरपेट एरिया का दिया जाएगा । गोदाम परिसर के अंदर खुले स्थान का किराया देय नहीं होगा । 5– जेनरेटर रखने हेतु एक रूम (साईज 10 X 10) हो । 6– गोदाम ऊँचे स्थान पर हो जिसके आस–पास जल जमाव की संभावना न हो । 7– गोदाम खाली एवं अविवादित होना चाहिए । 8– गोदाम अग्निशमन मानकों के अनुरूप हो तथा अग्निशमन की वैद्यानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होगा । 9– किरायानामा दस्तावेज का निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क का भुगतान गोदाम मालिक को करना होगा । 10– गोदाम नो इन्ट्री जोन से बाहर हो ।
2	खूँटी	1	3000	–वही–	
3	गुमला	1	6000	–वही–	
4	सिमडेगा	1	3500	–वही–	
5	लोहरदग्गा	1	3500	–वही–	
6	पूर्वी सिंहभूम	2	25000–30000	–वही–	
7	पश्चिमी सिंहभूम	1	9000	–वही–	
8	सरायकेला–खरसावाँ	1	8000	–वही–	
9	पलामू	1	9000	–वही–	
10	लातेहार	1	3500	–वही–	
11	गढ़वा	1	5000	–वही–	
12	हजारीबाग	1	9000	–वही–	
13	कोडरमा	1	5500	–वही–	
14	चतरा	1	3500	–वही–	
15	रामगढ़	1	15000–20000	–वही–	
16	बोकारो	1	20000–25000	–वही–	
17	गिरिडीह	1	8500–9000	–वही–	
18	धनबाद	2	25000–30000	–वही–	
19	दुमका	1	6000	–वही–	
20	जामताड़ा	1	5000	–वही–	
21	गोड्डा	1	3500	–वही–	
22	देवघर	1	5500	–वही–	
23	साहेबगंज	1	5500	–वही–	
24	पाकुड़	1	5000	–वही–	

1– गोदाम मैनुअल, एकरारनामा, निविदा प्रपत्र झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एच0ई0सी0, नगर प्रशासन भवन, द्वितीय तल, सेक्टर–3, गोल चक्कर, धुर्वा, राँची से दिनांक–9.2.2012 से 16.2.2012 तक कार्यालय अवधि में रू0 500/– (नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से) में प्राप्त किया जा सकता है ।

2– निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन के रूप में रू0 10,000/– (दस हजार रू0) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के नाम देय होगा, जमा करना अनिवार्य है । असफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि वापस कर दी जाएगी ।

3– अग्रधन अथवा सुरक्षित जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

4– निविदा प्रपत्र, गोदाम मैनुअल, एकरारनामा झारखण्ड सरकार के बेवसाईट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है तथा इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम देय हो निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

5– सफल निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'स' में जिलावार उल्लिखित सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट जो राँची में भुगतेय हो एवं झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के नाम से देय हो को उसी दिन जमा करना अनिवार्य होगा ।

6– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 17.2.2012 के 3.00 बजे अपराह्न तक होगी तथा सभी प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति में उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में खोली जाएगी ।

7– प्रत्येक गोदाम के लिए अलग–अलग निविदा प्रपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

8– अलग–अलग निविदा प्रपत्र समर्पित नहीं किये जाने पर बिना कारण बताये निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

9– निगम को एक या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा ।

10– अनुपस्थित निविदादाताओं की निविदा नहीं खोली जाएगी ।

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची ।

झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 गोदाम मैनुअल–2010

झारखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की मदिरा की आपूर्ति एवं उत्पाद राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्र संख्या **1992** दिनांक **.07.10.10** द्वारा झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 का गठन किया गया है । निगम को पूरे झारखंड राज्य में सभी प्रकार की मदिरा (देशी/विदेशी/बीयर) के थोक–व्यवसाय का अधिकार प्रदान किया गया है।

निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लिकर सोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार निगम को झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में गोदाम स्थापित कर मदिरा के विनिर्माता/वितरकताओं से सभी प्रकार की मदिरा प्राप्त कर खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गोदाम को किराए पर लेने/उसके मरम्मती एवं अनुरक्षण के लिए नियम, शर्त्तें एवं वंधेज को अवधारित करने के लिए गोदाम मैनुअल निम्न प्रकार हैः–

1. यह मैनुअल झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 गोदाम मैनुअल 2010 कहा जायेगा जो निगम के निदेशक मंडल के स्वीकृति के पश्चात निर्धारित तिथि से पूरे झारखंड राज्य क्षेत्र में निगम द्वारा गोदाम किराए पर लेने/उसके मरम्मती एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया पर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ :– इस मैनुअल में –

(क) निगम से अभिप्रेत है झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0।

(ख) मैनुअल से अभिप्रेत है झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन गोदाम मैनुअल 2010।

(ग) गोदाम से अभिप्रेत है सभी प्रकार की मदिरा के भंडारण हेतु झारखंड उत्पाद अधिनियम/नियम के तहत स्वीकृत परिसर जिसमें गोदाम कर्मियों का कार्यालय/प्रसाधन परिसर सम्मिलित होगा।

(घ) निदेशक मंडल से अभिप्रेत है झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 के संचालन हेतु सरकार द्वारा गठित एवं अधिसूचित निदेशक मंडल।

(ड़) प्रबंधक निदेशक से अभिप्रेत है निगम का प्रबंध निदेशक।

(च) निरीक्षी पदाधिकारी से अभिप्रेत है डिपो प्रबंधक से अन्यून पदाधिकारी।

(छ) निविदा समिति से अभिप्रेत है, प्रबंध निदेशक द्वारा गठित निगम के पदाधिकारी की समिति जो गोदाम के किराए पर लेने की प्रक्रिया में भाग लेगी।

(ज) आवेदन शुल्क से अभिप्रेत है निविदा डालने के निमित्त आवेदन पत्र के मूल्य के रूप में साथ लिया जाने वाला शुल्क जो लौटाया नहीं जायेगा।

(झ) सुरक्षित जमा से अभिप्रेत है गोदाम के लिए दिये जाने वाले निविदा के साथ गोदाम मालिक द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षित राशि जो निगम द्वारा निर्धारित होगी।

(ञ) गोदाम मालिक से अभिप्रेत है व्यक्ति विशेष अथवा निजी/सरकारी प्रतिष्ठान जिसमे गोदाम परिसर का सम्पूर्ण स्वामित्व निहित हो।

(ट) गोदाम रेन्ट से अभिप्रेत है वह सकल राशि जो निगम द्वारा गोदाम किराए पर लेने के एवज में प्रतिमाह गोदाम मालिक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को भुगतेय है।

3. गोदाम रेन्ट का निर्धारण गोदाम मालिक द्वारा निविदा में दी गयी गोदाम रेन्ट/स–सहमति द्वारा निर्धारित गोदाम रेन्ट प्रति वर्ग फीट के आधार पर की जायेगी।

4. गोदाम की संरचनाः– गोदाम की संरचना से अभिप्रेत है कि गोदाम हवादार, प्रकाशयुक्त, दीमक अवरोधी, सीलनरोधी, रिसनरोधी, सहज पहुँचने हेतु अंन्तःसड़क, प्रबंधन के कार्यालय एवं वाहन खड़ा करने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, जलापूर्ति, सफाई, विद्युत एवं अन्य सुविधायुक्त हो।

5. गोदाम को भाड़े पर लेने हेतु मानक नीतियाँः–

क) गोदाम निम्न सार्वजनिक स्थलों के 500 मी0 की परिधि के भीतर अवस्थित नहीं होनी चाहिएः–

I. विस्फोटक सामग्री भंडारण स्थल

II. ऐतिहासिक धरोहर स्थल या क्षेत्र

ख) यदि गोदाम किसी व्यावसायिक या औधोगिक क्षेत्र में अवस्थित हो तो उसे समतुल्य रिहाइशी इलाके में अवस्थित गोदाम की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

ग) अपेक्षाकृत चौड़ी सड़क पर अवस्थित गोदाम, जहाँ अग्निशामक दल के पहुँचने में सुगमता हो, को समतुल्य कम चौड़ी सड़क पर अवस्थित गोदाम की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

घ) ऊँचे स्थल पर अवस्थित गोदाम को समतुल्य कम ऊँचे एवं बाढ़ एवं वर्षाजनित जल–जमाव से प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित गोदाम की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

ड़) अग्निरोधी सामग्रियों से निर्मित गोदाम को प्राथमिकता दी जाएगी।

च) गोदाम परिसर बड़े व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश योग्य होने चाहिए एवं परिसर में एक साथ न्यनतम चार बड़े व्यवसायिक वाहन खड़े होने लायक प्रर्याप्त जगह होनी चाहिए।

6. गोदाम हेतु निविदा की प्रक्रियाः–

(क) पूरे झारखंड राज्य में क्षेत्र विशेष की थोक व्यवसाय को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार गोदाम का स्थल, संख्या एवं क्षेत्रफल का आकलन निगम द्वारा किया जायेगा।

(ख) निविदा प्रपत्र अनुसूची 'अ' के प्रारूप में होगा।

(ग) निविदा हेतु सुरक्षित राशि का निर्धारण प्रबंध निदेशक द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

(घ) निगम गोदाम के किराए पर लेने हेतु सभी प्रकार की वांछित सूचनाओं का राज्यस्तरीय कम–से–कम दो दैनिक समाचार–पत्रों, जिसमें कम से कम एक हिन्दी का समाचार पत्र हो, में निविदा के रूप में प्रकाशित करेगा।

(ड़) गोदाम मालिकों द्वारा निविदा सीलबन्द लिफाफे में भरकर, सुरक्षित राशि के साथ निगम मुख्यालय में यथाविहित स्थान पर डाली जाएगी।

(च) गोदाम मालिकों से प्राप्त निविदा को निविदा खोलने की तिथि/समय पर निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। एक स्थान के लिए प्राप्त एक से अधिक निविदाओं का तुलनात्मक विवरणी बनाकर निविदा स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा।

(छ) निविदा स्वीकृति के पूर्व निगम अपने माध्यम से सम्बन्धित गोदाम परिसरों का भौतिक सत्यापन कर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(ज) बिना कारण बतायें निविदा रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को होगा।

(झ) निगम द्वारा गोदाम के प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात गोदाम मालिक चार प्रतियों में गोदाम का ब्लू–प्रिन्ट नक्शा उत्पाद आयुक्त झारखंड, राँची से भंडारण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निगम को सौपेंगे। निगम द्वारा उक्त प्राप्त नक्शे को स्वीकृति हेतु उत्पाद आयुक्त को भेजा जायेगा । जिसे स्वीकृति उपरान्त निगम को वापस किया जाएगा ।

(ञ) ज्वलनशील पदार्थों के संग्रहण हेतु अतिरिक्त संरक्षा व्यवस्था एवं इससे जरूरी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेवारी गोदाम मालिक की होगी और गोदाम मालिक इन औपचारिकतओं को पूरा करने से संबंधित एक प्रमाण–पत्र जो गोदाम के जिले के फायर फाइटिंग के सक्षम पदाधिकारी द्वार निर्गत होगा, उपलब्ध करायेंगे।

7. किराया दर का निर्धारणः–

(क) गोदाम के किराया का निर्धारण, प्राप्त निविदाओं में अर्पित न्यूनतम दर पर किया जाएगा एवं उक्त निर्धारित गोदाम किराया दर की स्वीकृति निगम के निदेषक मंडल के द्वारा दी जाएगी ।

(ख) मासिक किराया दर का पुर्ननिर्धारण निगम द्वारा किराए पर लिए गए निजी गोदामों के किराए का पुर्ननिर्धारण प्रत्येक 3 वर्षों के उपरान्त निगम के निदेषक मंडल द्वारा किया जाएगा।

8. एकरारनामाः– उत्पाद आयुक्त से प्रस्तावित गोदाम का नक्शा पास होने के बाद निगम गोदाम मालिक से साथ विहित प्रपत्र अनुसूची 'ब' में पंजीकृत एकरारनामा करेगी, जिसकी अवधि तीन वर्षों की होगी। एकरारनामा के शर्त्तों का अनुपालन उभय पक्ष के लिए अनिवार्य होगा। उभय पक्ष किसी भी समय एकरारनामा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन इसके लिए कारण के साथ दूसरे पक्ष को तीन माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

9. मासिक किराया का भुगतानः– निगम गोदाम के भौतिक प्रभार ग्रहण की तिथि से गोदाम मालिक को एकरारनामा में दर्ज किराये–दर के आधार पर मासिक किराया का भुगतान प्रत्येक कलेन्डर माह के समाप्ति के उपरांत A/c Payee Cheque के माध्यम से करेगी।

10. गोदाम का मरम्मत्ति एवं अनुरक्षण (Repairing , एवं Maintenance):– गोदाम को मदिरा भंडारण के अनुरूप बनाये रखने की जिम्मेवारी गोदाम मालिक की होगी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार गोदाम का सम्यक् निरीक्षण किया जायेगा। तद्नुरूप सामयिक मरम्मत्ति एवं अनुरक्षण का कार्य गोदाम मालिक द्वारा 15 दिनों के भीतर सम्पादित की जायेगी। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में

निगम स्वयं आवश्यक Repairing एवं Maintenance करा कर इस पर व्यय की गई वास्तविक खर्च राशि की वसूली गोदाम के किराये मद से की जायेगी।

11. विपत्र के भुगतान के पूर्व विहित दर से निगम सभी देय कर की कटौती कर सकेगा।

12. इस गोदाम मैनुअल 2010 पर निगम को निदेशक मंडल के दिनांक....12.01.2012. की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या Item no. 3/6 से अनुमोदन प्राप्त है।

चेयरमैन,

झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0।

अनुसूची 'अ'

झारखण्ड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन को देशी/विदेशी शराब भण्डारण हेतु गोदाम किराये पर देने की निविदा प्रपत्र ।

स्थान का नाम (जहाँ गोदाम अवस्थित है)..

विवरण   निविदादाता द्वारा भरा जाना है ।

क्र0सं0	विवरण	विवरण निविदादाता द्वारा भरा जाना है ।
1	गोदाम मालिक का नाम, पूरा पता तथा फोन/फैक्स नम्बर	
2	क्या पूर्व में गोदाम राजकीय/किसी निगम को किराये पर देने का अनुभव है (कृपया सबूत के लिए दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	
3	क्या निविदादाता राजकीय उपक्रम/ पी0एस0यू0/पब्लिक/लिमिटेड कम्पनी/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी/ पार्टनरशिप फर्म/अन्य.................... है । कृपया उल्लेख करें ।	
4	निविदादाता का PAN नम्बर (कृपया सबूत के लिए दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	
5	गोदाम का पूर्ण पता	
6	प्लॉट का साईज.......... फुट गुणा.......... फुट.......... वर्ग फुट..............	
7	कवर्ड एरिया का साईज.............. फुट गुणा.................फुट, जहाँ भण्डारण करना है................................वर्ग फुट	
8	गोदाम की बाउन्डरी के अंदर पार्किंग एरिया..................फुट गुणा............. फुट ....वर्गफुट	
9	गोदाम की बाउन्डरी के बाहर पार्किंग एरिया.................. फुट गुणा.......... ....फुट	
10	मुख्य मार्ग से गोदाम के मुख्य द्वार तक तथा गोदाम के मुख्य द्वारा से भण्डारण शेड को जोड़ने वाली सड़क की प्रकृति एवं चौड़ाई (फीट में)	
11	गोदाम की म्यूनिसिपल सीमा से दूरी कि0मी0 में	
12	अन्य उपलब्ध कमरों की संख्या तथा उनकी साईज, वर्ग फुट में प्रत्येक कमरे की पृथक–पृथक देवें	
13	गोदाम पर पानी का स्त्रोत ?	ट्यूबवेल/जलदाय विभाग/अन्य.............. ....
14	गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ संग्रहण हेतु अतिरिक्त संरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा :–	
15	प्रति वगफीट किराया का दर (शब्दों में)	
16	बैंक ड्राफ्ट सं0 एवं दिनांक– राशि –	

गोदाम मालिक या प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर एवं दिनांक

नोट :– हाँ/ना, जहाँ भी प्रयुक्त हो रहा है उनमें जो लागू हो उसे भरना है । जहाँ एक से ज्यादा विकल्प है वहाँ जो विकल्प लागू हो उसे टिक करना है ।

अनुसूची 'ब'

LEASE AGREEMENT

This agreement made on the ....day of.................between..hereinafter called "lessor" of one part and Jharkhand State Beverages Corporation Limited, Ranchi having its head office at ---Ranchi hereinafter called the "Lessee" of other part.

Whereby it is agreed follows:-

1. That the lessor is the exclusive owner of the Godown as shown in enclosed map situated at...

2. That the "lessor" shall grant and the "Lessee" shall accept the lease of demised premises for three years from ....day of ....at the monthly rent.

3. That the "lessee" shall pay rent of demised premises to the lessor at the rate of Rs..................... per sq. ft. per month inclusive of all taxes etc. for the covering total area of................................Sq ft., which includes Guards room and official rooms. The said payment shall be made on monthly basis for the actual covering area in possession of "lessee" through Account Payee Cheque only.

4. That the lessor shall pay all rate, taxes and other charges related to the demised premises and the "Lessee" should not be liable to pay the said taxes.

5. That after execution of agreement the lessor shall henceforth hand over the vacant and peaceful possession of demised premises. In case of default in handing over possession of demised premised any loss is caused to the "Lessee", the lessor shall be responsible for the said loss and whole loss amount shall be recovered from the lessor. The lessor shall make provisions of all safety measures in the godown against fire & inflamables as per the prevalent govt. norms.

6. That the demised premises shall be utilized exclusively by "Lessee" for the storage of all kinds of liquor.

7. That the demised premises will be under lock and key of the "Lessee" and will be operated by the "Lessee".

8. That the "Lessee" paying the rent hereby reserve and performing and observing of the covenant by the "Lessee" herein content may hold and enjoy the demised premises during the said term without any interruption by the lessor or any other person whom so ever.

9. That the "Lessee" shall insure the stocks, store in the demised premises, which will be covered by standard fire and special perils policy, coverage of fire, lighting explosion/implosion, Air craft damage, riot strike malicious damage, earth quake burglary, theft and house broking insurance of Rs. Fifty lakes and yearly premium amount of insurance will be brone by "Lessee".

10. That the lessor will provide water and sanitary facilities to the "Lessee" at the demised premises in adequate manner.

11. That the lessor will provide electricity connection facility at the demised premises in name of "Lessee". The electricity bill will be paid regularly by the "Lessee" on the basis of actual consumption.

12. That repairing and maintenance of demised premises will be done by lessor as per norms. If lessor fails and/ or ignores repairing and maintenance of demised premises, the "Lessee" will do the repairing and maintenance work of the demised premises from their own fund and actual expenses, whatsoever, incurred in the repairing and maintenance of the demised premises shall be recovered from the lessor.

13. That this agreement will be valid for a period of three years w.e.f.............2012-----.

14. That the period of agreement may be extended on mutual consent of the parties. The monthly rent of demised premises shall be revised after expiry of three years. In case, negotiation of monthly rent could not be taken place between the parties, the "Lessee" will vacate the demised premises. Negotiation of enhancement of rent of demised premises would be taken up for discussion between the parties before three month of expiry of the lease period.

15. That it is hereby agreed that if at any time any dispute, doubt or question shall arise between the lessor and "Lessee" touching the construction, meaning or effect of this deed or any clause thereof or their respective rights and liabilities hereunder

the same shall referred to Managing Director of "Lessee", who shall be sole arbitrator and whose decision shall be final and binding on the parties.

16. That the jurisdiction of Court shall be at Ranchi.

17. That this agreement shall be executed by the lessor and "Lessee". On behalf of "Lessee" Manager (HR & Admin.) shall execute this agreement. In witnesses whereof the parties shall put their signature herein under.

Signature of Lessor

(..............................Manager (HR Admin.) ....) on behalf of Jharkhand State Beverages Corporation Ltd. Ranchi.

1. Witness:

2. Witness:

अनुसूची 'स'

सफल निविदादाताओं के द्वारा विभिन्न जिला में अवस्थित गोदामों के लिए निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का विवरण ।

क्र0 सं0	जिला का नाम जहाँ गोदाम की आवश्यकता है ।	सुरक्षित जमा राशि
1	2	6
1	राँची	2,50,000=00
2	खूँटी	24,000=00
3	गुमला	48,000=00
4	सिमडेगा	28,000=00
5	लोहरदग्गा	28,000=00
6	पूर्वी सिंहभूम	2,50,000=00
7	पश्चिमी सिंहभूम	72,000=00
8	सरायकेला– खरसावाँ	64,000=00
9	पलामू	72,000=00
10	लातेहार	24,500=00
11	गढ़वा	40,000=00
12	हजारीबाग	90,000=00
13	कोडरमा	44,000=00
14	चतरा	24,500=00
15	रामगढ़	1,50,000=00
16	बोकारो	2,00,000=00
17	गिरिडीह	68,000=00
18	धनबाद	2,50,000=00
19	दुमका	48,000=000
20	जामताड़ा	40,000=00
21	गोड्डा	28,000=00
22	देवघर	55,000=00
23	साहेबगंज	44,000=00
24	पाकुड़	40,000=00

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची ।

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

एच0ई0सी0 नगर प्रशासन भवन, गोल चक्कर, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञापन संख्या–50 /झा0रा0बि0कॉ0लि0 (भवन) **राँची, दिनांक–20.01.2012**

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, (झारखण्ड सरकार का एक लोक उपक्रम) के मुख्य कार्यालय के लिए किराए पर एक भवन की आवश्यकता है । भवन राँची शहर में कम–से–कम 3000 से 3500 वर्गफट का होना चाहिए । हिनू, डोरण्डा, अशोकनगर, हरमू, अरगोड़ा में स्थित भवन को प्राथमिकता दी जाएगी ।

2– इच्छुक व्यक्ति (भवन के स्वामी) प्रतिमाह किराया का दर अंकित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नगर प्रशासन भवन, द्वितीय तल, सेक्टर–3, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची स्थित वर्त्तमान कार्यालय में मुहरबन्द निविदा दिनांक–11.2.2011 तक 3.00 बजे अपराह्न तक निम्नांकित शर्त्तों पर समर्पित कर सकते हैं । निविदा इसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा । अनुपस्थित निविदादाताओं की निविदाएँ नहीं खोली जाएगी ।

<u>शर्त्त :–</u>

1– आवेदक का अपने मकान के सामने खुली जगह का रहना आवश्यक है, जिसके लिए कोई किराया देय नहीं होगा ।

2– मकान मुख्य सड़क पर अवस्थित हो अथवा मुख्य सड़क से सुगम आवागमन की सुविधा हो ।

3– निविदा प्रपत्र के साथ स्वामित्व संबंधी अभिलेख संलग्न हो । भवन विवादित न हो ।

4– भवन में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत कनेक्शन की समुचित व्यवस्था हो ।

5– भवन का सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शा की प्रति निविदा के साथ संलग्न हो ।

6– निविदा प्रपत्र झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एच0ई0सी0, नगर प्रशासन भवन, द्वितीय तल, सेक्टर–3 गोल चक्कर, धुर्वा, राँची से दिनांक–31.01.2012 से 10.02.2012 के 3.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है ।

7– निविदा जमा करने की अंकित तिथि 11.02.2012 के 3.00 बजे अपराह्न तक होगी तथा सभी प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति में उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में खोली जाएगी ।

8– निगम को एक या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा ।

9– निविदा प्रपत्र झारखण्ड सरकार के बेवसाईट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है तथा इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम देय हो निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

10– भवन के निरीक्षण के पश्चात् निगम कार्यालय के लिए संतोषजनक पाये जाने पर ही भवन किराया पर लिया जाएगा ।

11– उक्त भवन का दर स्वीकृत होने पर मकान मालिक को निगम के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा ।

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची ।

झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन को कार्यालय हेतु भवन किराये पर देने की निविदा प्रपत्र।

स्थान का नाम (जहाँ भवन अवस्थित है)..

क्र0 सं0	विवरण	**विवरण निविदादाता द्वारा भरा जाना है**
1	भवन मालिक का नाम, पूरा पता तथा फोन/फैक्स नम्बर	
2	क्या पूर्व में भवन राजकीय/किसी निगम को किराये पर देने का अनुभव है (कृपया सबूत के लिए दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	
3	क्या निविदादाता राजकीय उपक्रम/पी.एस.यू. /पब्लिक/लिमिटेड कम्पनी/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य.................................... ....है। कृपया उल्लेख करें।	
4	निविदादाता का PAN (कृपया सबूत के लिए दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	
5	भवन का पूर्ण पता मकान संख्या– मुहल्ला– थाना – पिन कोड– मौजा................................खाता सं....................................... प्लाट सं......................................	
6	भवन का साइज................. फुट गुणा............... फुट, ... कुल वर्ग फुट	
7	कवर्ड एरिया की साईज................फुट गुणा.........................फुट,. ....कुल वर्गफुट.......................	
8	भवन की बाउन्डरी के अंदर पार्किंग एरिया...................फुट गुणा.......................फुट,.....................कुल वर्गफुट	
9	भवन की बाउन्डरी के बाहर पार्किंग एरिया...................फुट गुणा.......................फुट..........................कुल वर्गफुट	

10	मुख्य मार्ग से भवन के मुख्य द्वार तक रोड को जोड़ने वाली सड़क की प्रकृति एवं चौड़ाई (फीट में)	
11	भवन की म्यूनिसिपल सीमा से दूरी कि.मी. में	
12	उपलब्ध कमरों की संख्या तथा उनकी साईज, वर्ग फुट में प्रत्येक कमरे की पृथक–पृथक देवें	कमरा–1 हॉल कमरा–2 शौचालय कमरा–3 कमरा–4 कमरा–5
13	भवन पर पानी का स्त्रोत ?	ट्यूबवेल / जलदाय विभाग / अन्य.............................. ....
14	भवन में ष्शौचालय की सुविधा	
15	उपलब्ध अन्य सुविधा	
16	भवन के नक्सा की प्रतिलिपि जो सक्षम अधिकारी द्वारा पास किया गया हो सलग्न करे।	
17	आवेदन फीस की राशि का ब्यौरा बैंक ड्राफ्ट नं0– दिनांक– बैंक का नाम –	
18	प्रति वर्गफीट किराया का दर (शब्दों में)	

भवन मालिक या प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर एवं दिनांक

नोट– हां / ना, जहां भी प्रयुक्त हो रहा है उनमें जो लागू हो उसे भरना है। जहां एक से ज्यादा विकल्प है वहां जो विकल्प लागू हो उसे टिक करना है।